

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 56]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 2 फरवरी 2017—माघ 13, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2017

क्र. डी-15-11-2017-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (24, सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 145/13, दिनांक 9 जून, 1953 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी समिति, सनावद, जिला खरगोन के मण्डी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को अतिरिक्त उपमण्डी प्रांगण घोषित करती है :—

स्थान

ग्राम बैडिया एवं लछोरा ग्राम पंचायत बैडिया एवं लछोरा तहसील सनावद, जिला खरगोन के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 8.549 हेक्टर (21.12 एकड़े) भूमि का क्षेत्र :—

क्रमांक (1)	खसरा क्रमांक (2)	क्षेत्रफल (हेक्टर में) (3)
1	ग्राम बैडिया ख. नं. 602/1	5.000
2	ग्राम लछोरा ख. नं. 110	3.549
कुल योग :		8.549

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—खसरा नं. 602/5 की शासकीय नहर.

दक्षिण में—खसरा नं. 74 की शासकीय भूमि.

पूर्व में—खसरा नं. 603 एवं खसरा नं. 111 पर सनावद-खरगोन मार्ग.

पश्चिम में—खसरा नं. 602/1 की शेष भूमि एवं खसरा नं. 74 की शासकीय भूमि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2017

क्र. डी-15-11-2017-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 2 फरवरी 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव।

Bhopal, the 2nd February 2017

No. D-15-11-2017-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare the following area's including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Sanavad District Khargon has been established by this department's Notification No. 145/13, dated 9th June, 1953 shall be Additional Sub-market yard namely :—

PLACE

An area of 8.549 Hectare's land of below mentioned Khasra number at Gram Beidiya & Lachhora, Gram Panchayat Beidiya & Lachhora in Tehsil Sanavad of Khargon District :—

S. No.	Khasra No.	Area (In Hectors)
(1)	(2)	(3)
1	Khasra No. 602/1 of Gram Beidiya	5.000
2	Khasra No. 110 of Gram Lachhora	3.549
All Total :		8.549

BOUNDED BY

On the North by—Govt. Canal of Khasra No. 602/5.

On the South by—Govt. land of Khasra No. 74.

On the East by—Om Khasra No. 603 & Khasra No. 111 Sanavad-Khargon road.

On the West by—Remming Land of Khasra No. 602/1 & Govt. Land of Khasra No. 74.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJAY GUPTA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2017

क्र. डी-15-11-2017-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24, सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 2 फरवरी 2017 द्वारा घोषित मंडी प्रांगण सनावद, जिला खरगोन के निम्नलिखित क्षेत्र को अतिरिक्त उपमंडी क्षेत्र घोषित करती हैः—

क्षेत्र

(1) ग्राम बैडिया एवं लछोरा ग्राम पंचायत बैडिया एवं लछोरा तहसील सनावद, जिला खरगोन की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र।

(2) मण्डी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र :—

- (1) भोगांवा, (2) फनगांव, (3) राहड़कोट, (4) भोगांवा निपानी, (5) ताजपुरा, (6) खानपुरा, (7) डाल्याखेड़ी, (8) चिचगोन, (9) सिकन्दरखेड़ी, (10) डुडगांव, (11) भातुड़, (12) भोरा, (13) बैडिया, (14) चितावद, (15) तमोलिया, (16) अमरपूरा, (17) बहादरपूरा, (18) भूलगांव, (19) बागदा बुजुर्ग, (20) लछोरा, (21) बागदाखुर्द, (22) जामन्या, (23) अतरसुम्बा, (24) पीपरीखेड़ी, (25) गोराड़िया।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2017

क्र. डी-15-11-2017-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 2 फरवरी 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव।

Bhopal, the 2nd February 2017

No. D-15-11-2017-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare that in the relation to the market yard vide this department's notification even Number dated 2nd February-2017 the following area of Sanavad of district Khergon shall be Additional Sub-market area :—

AREA

- (1) An area within the limit of Gram Beidiya & Lachhora, Gram Panchayat Beidiya & Lachhora in Tehsil Sanavad of District Khergon.
- (2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the mark yard namely :—
 - (1) Bhogawa, (2) Fungaon, (3) Rahadcot, (4) Bhogawan Nipani, (5) Tajpura, (6) Khanpura, (7) Dalyakhedi, (8) Chichagon, (9) Sikanderkhedi, (10) Dudgaon, (11) Bhatud, (12) Bhagora, (13) Bediya, (14) Chitavad, (15) Tamoliya, (16) Amarpura, (17) Bahadarpura, (18) Bhulgaon, (19) Bagda bujurg, (20) Lachhora, (21) Baagda khurd, (22) Jamanya, (23) Atersumba, (24) Piprikheda, (25) Godariya.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJAY GUPTA, Dy. Secy.